रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2019/आषाढ़ 20, 1941
No. 193] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2019/ASHADHA 20, 1941

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2019

ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के ज़रिए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन

सं. 23/27/2017-आर एंड आर.—1.0 विद्युत अधिनियम, 2003, की धारा 63 के उपबंधों के अधीन ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के ज़रिए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देश दिनांक: 03 अगस्त, 2017 को भारत के राजपत्र (असाधारण), (भाग-I, खंड-1) में संकल्प सं. 23/27/2017-आरएंडआर के द्वारा अधिसूचित किए गए और दिनांक: 15 जून, 2018 को भारत के राजपत्र (असाधारण), (भाग- I, खंड-1) में संकल्प सं. 23/27/2017-आरएंडआर एवं 7 जनवरी, 2019 को भारत के राजपत्र (असाधारण), (भाग- I, खंड-1) में संकल्प सं. 23/27/2017-आरएंडआर के द्वारा संशोधित किए गए।

2.0 दिनांक: 15 जून, 2018 एवं 7 जनवरी, 2019 को संशोधित, दिनांक: 03 अगस्त, 2017 के उक्त दिशा-निर्देशों में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

2.1 बिंदु संख्या 11.2 का पैरा:

> **"11.2** निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) का निर्धारण खरीदार द्वारा पीपीए प्रस्तुत करते समय किया जाएगा [लेकिन यह खरीदार द्वारा निर्दिष्ट स्थान होने पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बोली आमंत्रित किये जाने वाले साल में परियोजना लागत के 4 प्रतिशत (चार प्रतिशत) से अधिक और सौर ऊर्जा उत्पादक द्वारा स्थान का चयन किये जाने की स्थिति में 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) या अनुमानित परियोजना लागत से अधिक नहीं होना चाहिए]। अन्य उपायों के अलावा सोलर पावर जनरेटर को विद्युत

खरीद समझौते की शर्तों में निर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में किसी तरह का नुकसान होने/देयताएं उत्पन्न होने पर पीबीजी का नकदीकरण किया जा सकेगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्यस्थ खरीदार द्वारा पीपीए की शर्तों के अनुसार सोलर पावर जनरेटर में किसी प्रकार की चूक होने पर पीबीजी के नकदीकरण के जरिए क्षतिपूर्ति/देययताएं वसूले जाने की स्थिति में क्षति/देयता पीएसए की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ खरीदार द्वारा आखिरी खरीदार को अंतरित कर दी जाएगी।"

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"11.2 निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) का निर्धारण खरीदार द्वारा पीपीए प्रस्तुत करते समय किया जाएगा [लेकिन यह खरीदार द्वारा निर्दिष्ट स्थान होने पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बोली आमंत्रित किये जाने वाले साल में परियोजना लागत के 4 प्रतिशत (चार प्रतिशत) से अधिक और सौर ऊर्जा उत्पादक द्वारा स्थान का चयन किये जाने की स्थिति में 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) या अनुमानित परियोजना लागत से अधिक नहीं होना चाहिए] । अन्य उपायों के अलावा सोलर पावर जनरेटर को विद्युत खरीद समझौते की शर्तों में निर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में किसी तरह का नुकसान होने/देयताएं उत्पन्न होने पर पीबीजी का नकदीकरण किया जा सकेगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्यस्थ खरीदार द्वारा पीपीए की शर्तों के अनुसार सोलर पावर जनरेटर में किसी प्रकार की चूक होने पर पीबीजी के नकदीकरण के जरिए क्षतिपूर्ति/देययताएं वसूले जाने की स्थिति मे क्षति/देयता, 'ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के ज़रिए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देशों' की धारा 5.3.2.क.ii के उपबंधों के अधीन मध्यस्थ खरीदार द्वारा अनुरक्षित भुगतान सुरक्षा निधि में जमा कर दी जाएगी।"

2.2 बिंदु संख्या 13 का पैरा:

"13. न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी का प्रोमोटर द्वारा रखा जाना

13.1 सफल बोलीदाता अगर एकल कंपनी हो तो उसे यह सुनश्चित करना होगा कि एसपीवी/पीपीए पर दस्तखत करने वाली कंपनी में उसकी हिस्सेदारी सीओडी (जिसे अनुच्छेद 15 में परिभाषित किया गया है) की तारीख से 1 (एक) साल पहले खरीदार की पूर्वानुमति कि बिना किसी भी समय 51 (इक्यावन) प्रतिशत से नीचे न पहुंचे।अगर सफल बोलीदाता कंपनियों का समूह हो तो इस स्थिति में एसपीवी/पीपीए पर दस्तखत करने वाली परियोजना कंपनी में समूह की कंपनियों की संयुक्त हिस्सापूंजी खरीदार की पूर्वानुमति के बिना सीओडी से 1 (एक) साल पहले किसी भी वक्त 51(इक्यावन) प्रतिशत से नीचे नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन अगर सफल बोलीदाता स्वयं ही पीपीए कर रहा हो तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके प्रोमोटर सीओडी से 1 (एक) साल पहले तक खरीदार की अनुमति के बिना कंपनी पर अपना नियंत्रण[2] खत्म न होने दें। ऐसी स्थिति में यह भी जरूरी होगा कि सफल बोलीदाता अपने प्रोमोटरों और उनकी हिस्सापूंजी के बारे में खरीदार के साथ विद्युत खरीद समझौते पर दस्तखत करने से पहले सूचनाएं उपलब्ध करा दें।

13.2 सीओडी से 1 (एक) साल पूरा हो जाने के बाद हिस्सापूंजी में कोई भी बदलाव खरीदार को सूचना देकर किया जा सकता है।

13.3 अगर सोलर पावर जनरेटर ने किसी ऋणदाता (ओं) की देनदारी चुकाने में चूक की हो तो ऋणदाता को इस बात का अधिकार होगा कि वह खरीदारों की सहमति से'प्रोमोटर बदल' सके।

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"13. न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी का प्रोमोटर द्वारा रखा जाना

13.1 सफल बोलीदाता अगर एकल कंपनी हो तो उसे यह सुनश्चित करना होगा कि एसपीवी/पीपीए पर दस्तखत करने वाली कंपनी में उसकी हिस्सेदारी सीओडी (जिसे अनुच्छेद 15 में परिभाषित किया गया है) की तारीख से 3 (तीन) साल पहले खरीदार की पूर्वानुमति कि बिना किसी भी समय समय 51 (इक्यावन) प्रतिशत से नीचे न पहुंचे। अगर सफल बोलीदाता कंपनियों का समूह हो तो इस स्थिति में एसपीवी/पीपीए पर दस्तखत करने वाली परियोजना कंपनी में समूह की कंपनियों की संयुक्त हिस्सापूंजी खरीदार की पूर्वानुमति के बिना सीओडी से 3 (तीन) साल पहले किसी भी वक्त 51 (इक्यावन) प्रतिशत से नीचे नहीं पहुंचनी चाहिए। सफल बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके प्रोमोटर सीओडी से 3 (तीन) साल पहले तक खरीदार की अनुमति के बिना बोलीदाता कंपनी / कंपनियों के समूह पर अपना नियंत्रण[2] खत्म न होने दें। ऐसी स्थिति में यह भी जरूरी होगा कि सफल बोलीदाता अपने प्रोमोटरों और उनकी हिस्सापूंजी के बारे में खरीदार के साथ विद्युत खरीद समझौते पर दस्तखत करने से पहले सूचनाएं उपलब्ध करा दें।

13.2 सीओडी से 3 (तीन) साल पूरा हो जाने के बाद हिस्सापूंजी में कोई भी बदलाव खरीदार को सूचना देकर किया जा सकता है।

13.3 अगर सोलर पावर जनरेटर ने किसी ऋणदाता (ओं) की देनदारी चुकाने में चूक की हो तो ऋणदाता को इस बात का अधिकार होगा कि वह खरीदारों की सहमति से'प्रोमोटर बदल' सके।"

[2]'नियंत्रण' शब्द का अर्थ है स्वामित्व, ऐसी कंपनी के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) से अधिक वोटिंग शेयरों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वामित्व, अथवा बहुसंख्य निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार।

2.3 बिंदु संख्या 20 का पैरा:

"20. दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्टीकरण और संशोधन

अगर इन दिशानिर्देशों के किसी प्रावधान को लागू करने या दिशानिर्देशों की व्याख्या अथवा इनमें संशोधन में कोई अड़चन आती है तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को इस बात का अधिकार है कि वह विद्युत मंत्रालय के परामर्श से यह कार्य पूरा करे। इस संबंध में सभी संबद्ध पक्ष किसी भी निर्णय को मानने को बाध्य होंगे।"

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"20. दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्टीकरण और संशोधन

अगर इन दिशानिर्देशों के किसी प्रावधान को लागू करने या दिशानिर्देशों की व्याख्या अथवा इनमें संशोधन में कोई अड़चन आती है तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को इस बात का अधिकार है कि वह मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, केअनुमोदन से यह कार्य पूरा करे। इस संबंध में सभी संबद्ध पक्ष किसी भी निर्णय को मानने को बाध्य होंगे।"

घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियंता (आरएंडआर)

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 9th July, 2019

Amendments to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects

No. 23/27/2017-R&R.—1.0 The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects have been notified under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 vide resolution No. 23/27/2017-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I-Section) on 3rd August, 2017 and have been amended vide resolution No. 23/27/2017-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I-Section) on 15th June, 2018 and resolution No. 23/27/2017-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I-Section) on 7th January, 2019.

2.0 The following amendments are hereby made in the said guidelines of 3rd August, 2017, amended on 15th June 2018 and 7th January, 2019 namely:-

2.1 The Para at point No. 11.2:

> **"11.2** Performance Bank Guarantee (PBG), to be fixed by the Procurer [but not to be more than 4% (four per cent), in case of site specified by the Procurer, and 5% (five per cent), in case of site selected by the Solar Power Generator, of the Project cost, as determined by CERC, if any, for the financial year in which the bids are invited or the estimated project cost] to be submitted at the time of signing of the PPA. In addition to the other remedies, this PBG can be encashed to recover any damages/dues of the Solar Power Generator in terms of the PPA. It is hereby clarified that the damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the Solar Power Generator under the PPA, shall be passed on by the Intermediary Procurer to the End Procurer in terms of the PSA."

May be read as under:

> **"11.2** Performance Bank Guarantee (PBG), to be fixed by the Procurer [but not to be more than 4% (four per cent), in case of site specified by the Procurer, and 5% (five per cent), in case of site selected by the Solar Power Generator, of the Project cost, as determined by CERC, if any, for the financial year in which the bids are invited or the estimated project cost] to be submitted at the time of signing of the PPA. In addition to the other remedies, this PBG can be encashed to recover any damages/dues of the Solar Power Generator in terms of the PPA. It is hereby clarified that the damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the Solar Power Generator under the PPA, shall be credited to the Payment Security Fund to be maintained by the Intermediary Procurer under Clause 5.3.2.a.ii. of 'Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects'."

2.2 The Para at point No. 13:

> **"13. MINIMUM PAID UP SHARE CAPITAL TO BE HELD BY THE PROMOTER**
>
> **13.1.** The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/project company executing the PPA shall not fall below 51% (fifty-one per cent) at any time prior to 1 (one) year from the COD (as defined in Clause 15), except with the prior approval of the Procurer. In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/project company executing the PPA, shall not fall below 51% at any time prior to 1 (one) year from the COD, except with the prior approval of the Procurer. However, in case the successful bidder shall be itself executing the PPA, then it shall ensure that its promoters shall not cede control[2] till 1 (one) year from the COD, except with the prior approval of the Procurer. In this case it shall also be essential that the successful bidder shall provide the information about its promoters and their shareholding to the Procurer before signing of the PPA with Procurer.
>
> **13.2**. Any change in the shareholding after the expiry of 1 (one) year from the COD can be undertaken under intimation to Procurer.
>
> **13.3.** In the event the Solar Power Generator is in default to the lender(s), lenders shall be entitled to undertake **"Substitution of Promoter"** in concurrence with the Procurers**.**"

May be read as under:

"13. MINIMUM PAID UP SHARE CAPITAL TO BE HELD BY THE PROMOTER

13.1. The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/project company executing the PPA shall not fall below 51% (fifty-one per cent) at any time prior to 3 (three) years from the COD (as defined in Clause 15), except with the prior approval of the Procurer. In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/project company executing the PPA, shall not fall below 51% at any time prior to 3 (three) years from the COD, except with the prior approval of the Procurer. Further, the successful bidder shall ensure that its promoters shall not cede control[2] of the bidding company/ consortium till 3 (three) years from the COD, except with the prior approval of the Procurer. In this case it shall also be essential that the successful bidder shall provide the information about its promoters and their shareholding to the Procurer before signing of the PPA with Procurer.

13.2. Any change in the shareholding after the expiry of 3 (three) years from the COD can be undertaken under intimation to Procurer.

13.3. In the event the Solar Power Generator is in default to the lender(s), lenders shall be entitled to undertake **"Substitution of Promoter"** in concurrence with the Procurers."

---

[2]The expression 'control' shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% (fifty per cent) of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.

2.3 The Para at point No. 20:

"20. CLARIFICATION AND MODIFICATION TO GUIDELINES

If any difficulty arises in giving effect to any provision of these Guidelines or interpretation of the Guidelines or modification to the Guidelines, Ministry of New & Renewable Energy is empowered to do the same in consultation with Ministry of Power. The decision in this regard shall be binding on all the parties concerned."

May be read as under:

"20. CLARIFICATION AND MODIFICATION TO GUIDELINES

If any difficulty arises in giving effect to any provision of these Guidelines or interpretation of the Guidelines or modification to the Guidelines, Ministry of New & Renewable Energy is empowered to do the same, with the approval of Minister, New & Renewable Energy. The decision in this regard shall be binding on all the parties concerned."

GHANSHYAM PRASAD, Chief Engineer (R&R)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.07.16 11:47:16 +05'30'